

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.-750/2016

संस्थित दिनांक 07.11.2016

फाईलिंग नं.-3013012016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, रूपझर
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — —अभियोजन

// **विरुद्ध** //

सम्पत सलामे पिता छोटेलाल सलामे उम्र 45 साल,
 निवासी वार्ड नं.17 ग्राम नारंगी, चौकी उकवा,
 थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — —आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक 11/01/2018 को घोषित)

01— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 19.03.2016 को समय सुबह 04:00 बजे थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम नारंगी में फरियादिया श्रीमती पार्वतीबाई सलामे के पति होते हुए फरियादिया को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया।

02— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि प्रार्थिया पार्वतीबाई अपने लड़के एवं भतीजे के साथ चौकी आकर रिपोर्ट दिनांक 19.03.16 को लेख करायी कि उसके पति सम्पत सलामे शराब पीने के आदि है। वह घर में सुख-शांति आने के लिए धार्मिक मान्यता मानी है किसी का झूठा नहीं खाती है। बिना नहाये धोये खाना नहीं बनाती है इसी बात पर से उसका पति नाराज होकर गंदी-गंदी गालियाँ देकर बोला कि अभी तुझे झूठा खाना पड़ेगा। उसने खाना खाने से मना किया तो घर में ही रखी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर सिर में कुल्हाड़ी से मारा, जिससे खून निकला तथा हाथ की कलाई तथा पीठ में मारने से दर्द हो रहा है और बोला आगे और पूजा-पाठ की तो जान से खत्म कर देगा। उसका पति उससे क्रूरता से हमेशा प्रताड़ित करता है। झगड़े की आवाज सुनकर लड़की-लड़के चिल्लाने लगे, भांजा राजेन्द्र धुर्वे बाजू में सोया था वह भी जाग गया और बीच-बचाव किया। उक्त रिपोर्ट पर आरोपी सम्पत सलामे के विरुद्ध धारा-294, 323, 506, 498(क) भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान मुलाहिजा रिपोर्ट, निरीक्षण घटनास्थल, गवाहों के कथन लेख किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 68/16 दिनांक 23.06.16 तैयार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

03— आरोपी के विरुद्ध धारा-294, 323 एवं 506 भाग-दो एवं 498ए भा.दं.वि. के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्ष द्वारा राजीनामा कर लिया गया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323 एवं 506 भाग-दो के आरोप से उन्मोचित किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए शमनीय न होने से उक्त संबंध में आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 19.03.2016 को समय सुबह 04:00 बजे थाना रुपझर अंतर्गत ग्राम नारंगी में फरियादिया श्रीमती पार्वतीबाई सलामे के पति होते हुए फरियादिया को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

05— साक्षी पार्वतीबाई अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है, जो उसका पति है। आरोपी संपत से उसका विवाह करीब 25-30 वर्ष पूर्व हुआ था। विवाह पश्चात से वह वर्तमान तक आरोपी के साथ निवासरत है और उसे उससे कोई शिकायत नहीं है। करीब एक वर्ष पूर्व आरोपी के साथ उसका मौखिक विवाद हो गया था, जिसके बाद आवेश में उसने लोगों के कहने पर उसके विरुद्ध उकवा चौकी में शिकायत की थी, जहाँ पुलिस वालों ने कुछ दस्तावेजों पर उससे अंगुठा लगवाये थे, परंतु उसने दस्तावेजों को पढ़कर नहीं देखा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 पर उसका अंगुठा निशानी है। चौकी में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और उसने उक्त बात बता दी थी। आरोपी उससे मारपीट नहीं करता। आरोपी द्वारा कभी उसे प्रताड़ित नहीं किया गया।

06— साक्षी पार्वतीबाई अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक 19.03.2016 को उसकी पूजा-पाठ तथा धार्मिक मान्यता वाली बात पर रात को उसके पति द्वारा माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देकर झगडा किया गया और सुबह 4:00 बजे घर में रखी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर उसके सिर, बांये हाथ की कलाई, पीठ तथा पसलियों पर मारपीट की गई, जिससे सिर पर चोट आयी और खून निकला, उसका पति क्रूरता से उसे हमेशा प्रताड़ित करता था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.02 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रही है। साक्षी पार्वतीबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपी से केवल मौखिक विवाद हुआ था, पति-पत्नि में अक्सर ऐसे विवाद होते रहते हैं, उसने लोगों के कहने पर आवेश में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा

दी थी, वह उसके साथ सुखपूर्वक निवासरत है। आरोपी द्वारा उससे कोई मारपीट नहीं की जाती है। वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

07— फरियादी पार्वतीबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसका आरोपी के साथ मौखिक विवाद हुआ था। आरोपी ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। फरियादी पार्वतीबाई अ.सा.01 घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी संपत सलामे ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया श्रीमती पार्वतीबाई सलामे के पति होते हुए फरियादिया को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया। अतः आरोपी संपत सलामे को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

08— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

09— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक कुल्हाड़ी बेसा सहित मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

10— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

सही / —
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

सही / —
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट